संख्या– / / xxiv(7)82(2) / 2008

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर, 2012

**विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–2013 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर में निर्माणाधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अतिथिगृह, पुस्तकालय भवन एवं कम्प्यूटर कक्षों के साथ कैंटीन भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1563 / xxiv(7)82(2) / 2008 दिनांक 04.10.2011 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास / 3190 / 2012–13 दिनांक 22.6.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर में निर्माणाधीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अतिथिगृह, पुस्तकालय भवन एवं कम्प्यूटर कक्षों के साथ कैंटीन भवन निर्माण अनुमोदित आगणन रु. 287.58 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु. 22.58 लाख (रु0 बाईस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि अनावश्यक रुप से बैंकों में पार्किंग के रुप में न रखी जाय।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत की गई उक्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2013 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय। तथा कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्रता से पूर्व किये जाने हेतु सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

.....2/

4– निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेगें। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन की संस्तुति के आधार पर पुराने निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष सुपरविजन एवं गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–आयोजनागत–11–आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 100 (p)/ xxvii(3)/2012–13 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

सं0 1943 (1)/xxiv(7)/2012–82(2)/08 तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2–आयुक्त कुमाऊँ मण्डल।
3–जिलाधिकारी बागेश्वर।
4–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5–अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर ।
6–प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर।
7–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव